रिज़र्व फ़ैसले 3 महीने में सुनाने का 'प्रयास': सुप्रीम कोर्ट के अखिल-भारतीय दिशानिर्देश

समाचार-संदर्भ तिथि: 29 मई 2026 (निर्णय) | प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026

29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 142** का प्रयोग करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों पर **बाध्यकारी दिशानिर्देश** जारी किए: रिज़र्व (सुरक्षित) किया गया फ़ैसला अधिकतम **3 महीने** के भीतर सुनाने का प्रयास किया जाए; जमानत का आदेश सुनवाई के बाद अधिमानतः उसी दिन, और रिज़र्व किए जाने पर अगले दिन सुनाया जाए; खुली अदालत में सुनाया गया कारण-युक्त फ़ैसला **24 घंटे** के भीतर वेबसाइट पर अपलोड हो। यह पहली बार है जब रिज़र्व फ़ैसलों की देरी पर देशव्यापी, विस्तृत और बाध्यकारी ढाँचा बना है (पिला पहाड़ @ पीला पहाड़ बनाम झारखंड राज्य, 2026 INSC 604)।

खबरों में क्यों

मामला झारखंड के कैदियों की याचिकाओं से शुरू हुआ, जिनकी आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय में जनवरी-जून 2022 में सुन ली गईं, पर फ़ैसले वर्षों तक सुनाए नहीं गए। 23 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट माँगी; रिपोर्ट में सामने आया कि केवल एक पीठ-वर्ग में 04 जनवरी 2022 से 16 दिसंबर 2024 के बीच सुनवाई पूरी हुए **56 मामले** (द्विसदस्यीय पीठ) और 11 मामले (एकल पीठ) फ़ैसले की प्रतीक्षा में थे। 13 मई 2025 तक चारों याचिकाकर्ता रिहा हो चुके थे, पर कोर्ट ने व्यापक संवैधानिक प्रश्न के कारण वाद खुला रखा, अमिकस क्यूरी (न्यायालय-मित्र) के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों का डेटा मँगाया और अंततः 29 मई 2026 को अखिल-भारतीय दिशानिर्देश जारी किए।

दिशानिर्देश क्या कहते हैं?

समय-सीमा: रिज़र्व फ़ैसला — उच्च न्यायालय अधिकतम **3 महीने** के भीतर कारण-युक्त फ़ैसला सुनाने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों (नियमित/अग्रिम जमानत, कैदी दोषी की अपील, मृत्युदंड-संदर्भ) में विशेष तत्परता अपेक्षित है। जमानत आदेश अधिमानतः सुनवाई वाले दिन; रिज़र्व किए जाने पर अगले दिन सुनाकर अपलोड किया जाए। जमानत, सजा-स्थगन या बरी करने का आदेश उसी दिन जेल प्रशासन और ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए, और कैदी की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन हो; ट्रायल कोर्ट अनुपालन की रिपोर्ट उच्च न्यायालय की पीठ को देगा।

स्पष्टीकरण की सीमा: अपील/मृत्युदंड-संदर्भ में कैदी अपीलकर्ता हो तो पीठ वकीलों से ज़रूरी स्पष्टीकरण रिज़र्व करने के **7 दिन** के भीतर माँगेगी; अन्य मामलों में **1 महीने** के भीतर।

कार्यात्मक भाग और कारण-युक्त फ़ैसला: अत्यंत आपात मामलों (हेबियस कॉर्पस, कैदी की बरीयता, ध्वस्तीकरण/बेदखली, शैक्षणिक दाखिला) में पहले कार्यात्मक भाग सुनाया जा सकता है; कारण-युक्त फ़ैसला **7 दिन** के भीतर, व्यावहारिक कठिनाई पर अधिकतम **15 दिन** में अपलोड हो। खुली अदालत में सुनाया कारण-युक्त फ़ैसला **24 घंटे** के भीतर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

जवाबदेही की शृंखला: हर महीने के अंत में स्वचालित ईमेल से मुख्य न्यायमूर्ति को उस महीने के लंबित रिज़र्व फ़ैसलों की सूची जाएगी (प्रति संबंधित पीठ को)। 2 महीने से अधिक लंबित मामलों की सूची मुख्य न्यायमूर्ति गोपनीय 'सीलबंद' रूप में न्यायाधीशों में परिचालित कर सकते हैं। 3 महीने बीतने पर रजिस्ट्रार जनरल मामला मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखेगा, जो पीठ को **2 सप्ताह** में फ़ैसला सुनाने का निर्देश देंगे; तब भी न हो तो मामला **दूसरी पीठ** को सौंपा जाएगा (पुनः सुनवाई होगी)। कार्यात्मक भाग सुनने के बाद कारण-युक्त फ़ैसला 15 दिन में अपलोड न हो, तो मुख्य न्यायमूर्ति **3 दिन** में अपलोड कराने का निर्देश देंगे।

पार्टी के उपाय: 3 महीने बीतने पर कोई भी पक्ष 'शीघ्र फ़ैसले' का आवेदन दे सकता है, जो **2 दिन** (अवकाश छोड़कर) में सूचीबद्ध होगा। साढ़े 3 महीने बीतने पर पक्ष मुख्य न्यायमूर्ति से मामला वापस लेकर **दूसरी पीठ** को भेजने का आवेदन कर सकता है। कारण-युक्त फ़ैसला 15 दिन में अपलोड न हो तो भी आवेदन का अधिकार; 1 महीने बीतने पर पीठ-परिवर्तन का आवेदन संभव।

पारदर्शिता: प्रमाणित प्रति में रिज़र्व करने, सुनाने और अपलोड की तारीख़ें अंकित होंगी; अंतिम सुनवाई के बाद केस-स्टेटस में रिज़र्व की तारीख़ दिखेगी; केवल कार्यात्मक भाग सुनने की स्थिति भी स्टेटस में स्पष्ट होगी; अपलोड पर वकीलों को स्वचालित ईमेल/SMS सूचना जाएगी।

'प्रयास करेंगे' बनाम 'कठोर अंतिम-तिथि' — भेद ज़रूरी

दिशानिर्देशों की भाषा है — उच्च न्यायालय अधिकतम 3 महीने के भीतर फ़ैसला सुनाने का **प्रयास** (endeavour) करेंगे। यह स्वतः-प्रवर्ती दंडात्मक अंतिम-तिथि नहीं है; इसकी असली शक्ति उस **जवाबदेही-शृंखला** में है जो 3 महीने बीतने पर चलती है — रजिस्ट्रार जनरल से मुख्य न्यायमूर्ति तक, फिर 2 सप्ताह की सीमा और अंततः पीठ-परिवर्तन तक। '3 महीने में फ़ैसला अनिवार्य' कहना निर्णय का अतिकथन होगा।

पुरानी स्थिति से क्या बदला?

अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001): सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिशानिर्देश दिए थे — 2 महीने पर मुख्य न्यायमूर्ति पीठ का ध्यान खींचें, 3 महीने पर पार्टी आवेदन दे सके, 6 महीने पर मामला दूसरी पीठ को भेजने का अनुरोध संभव। मई 2026 के दिशानिर्देश पीठ-परिवर्तन की सीमा घटाकर **साढ़े 3 महीने** करते हैं और मासिक स्वचालित रिपोर्टिंग, अपलोड-सीमा और अनुपालन-रिपोर्ट जैसी नई कड़ियाँ जोड़ते हैं।

रतीलाल झावेरभाई परमार बनाम गुजरात राज्य (2024): कार्यात्मक भाग सुनाने पर कारण 2 दिन, अधिकतम 5 दिन में सार्वजनिक करने की अपेक्षा कही गई थी; नए दिशानिर्देश इसे 7 दिन (अधिकतम 15) के सामान्य ढाँचे में समेटते हैं।

वैधानिक रिक्तता: ट्रायल कोर्ट के लिए फ़ैसले की समय-सीमा के प्रावधान विद्यमान हैं (धारा 353(1) CrPC / धारा 392 BNSS; CPC का आदेश XX नियम 1), पर उच्च न्यायालयों के लिए कोई वैधानिक सीमा नहीं — यही रिक्तता अनुच्छेद 142 के प्रयोग का आधार बनी।

अनुच्छेद 142 क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को 'पूर्ण न्याय' (complete justice) के लिए आदेश पारित करने की शक्ति देता है। इसी के अंतर्गत ये दिशानिर्देश सभी उच्च न्यायालयों पर **बाध्यकारी निर्देश** के रूप में प्रवर्तित हुए हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हैं, और उच्च न्यायालयों के असाधारण कार्यभार की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की।

देरी क्यों संवैधानिक प्रश्न है?

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21 का अधिकार केवल शीघ्र विचारण तक सीमित नहीं; वह कार्यवाही के **हर चरण** तक फैलता है — रिज़र्व फ़ैसले में देरी उतना ही उल्लंघन है जितना सुनवाई से वंचना। कैदी पर इसका भार सबसे अधिक पड़ता है: जिसकी अपील सुनकर रिज़र्व हो गई, उसका हर अतिरिक्त दिन अतिरिक्त कारावास है। देरी निर्णय की गुणवत्ता और न्याय-तंत्र में जनविश्वास दोनों को भी घटाती है। अमिकस की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में रिज़र्व फ़ैसले महीनों, कभी-कभी वर्षों तक लंबित रहे — स्थिति 'गंभीर रूप से विचलित करने वाली' बताई गई।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा (PT): वाद का नाम — पिला पहाड़ @ पीला पहाड़ बनाम झारखंड राज्य (2026 INSC 604, 29 मई 2026); पीठ — मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची; अनुच्छेद 142; प्रमुख सीमाएँ — 3 महीने (फ़ैसला), 24 घंटे (अपलोड), 7/15 दिन (कारण), साढ़े 3 महीने (पीठ-परिवर्तन का उपाय); अनिल राय (2001) की पृष्ठभूमि।

मुख्य परीक्षा GS-2: न्यायिक विलंब और अनुच्छेद 21; न्यायपालिका की प्रशासनिक स्वायत्तता बनाम उत्तरदायित्व; अनुच्छेद 142 की परिधि और सीमाएँ; उच्च न्यायालयों में कार्यभार और संस्थागत सुधार; डेटा-आधारित न्यायिक प्रशासन (मासिक स्वचालित रिपोर्टिंग)।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

रिज़र्व फ़ैसलों में देरी केवल प्रक्रियागत दोष नहीं, अनुच्छेद 21 से जुड़ा संवैधानिक प्रश्न है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बाध्यकारी दिशानिर्देशों के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: पिला पहाड़ वाद और समस्या का अखिल-भारतीय स्वरूप

मुख्य भाग में: तथ्य-पक्ष: 3-महीने की 'प्रयास'-सीमा, जवाबदेही-शृंखला (रजिस्ट्रार जनरल → मुख्य न्यायमूर्ति → पीठ-परिवर्तन), पार्टी-उपाय, अपलोड/पारदर्शिता प्रावधान; विश्लेषण: अनुच्छेद 21 का विस्तार, अनुच्छेद 142 की भूमिका, अनिल राय (2001) से निरंतरता और सुधार; सीमा: 'प्रयास' की भाषा, क्रियान्वयन उच्च न्यायालयों के नियम-संशोधन पर निर्भर

निष्कर्ष में: संरचित ढाँचा न्यायिक विश्वास मजबूत करने की दिशा में कदम।

स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (प्राथमिक): पिला पहाड़ @ पीला पहाड़ बनाम झारखंड राज्य, 2026 INSC 604 — निर्णय, 29 मई 2026
- LiveLaw (प्रेस): SC के रिज़र्व-जजमेंट दिशानिर्देशों की रिपोर्ट, 29 मई 2026
- India Today (प्रेस): दिशानिर्देशों की रिपोर्ट, 30 मई 2026

यह भी पढ़ें: राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण | बुज़ुर्ग और टर्मिनल बीमारी वाले कैदी: समय-पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।

याद रखें: तीन संख्याएँ — फ़ैसले के लिए अधिकतम **3 महीने** का प्रयास, अपलोड के लिए **24 घंटे**, और पीठ-परिवर्तन के उपाय के लिए **साढ़े 3 महीने** — और एक शक्ति: अनुच्छेद 142, जिससे ये दिशानिर्देश सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।